तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रेफरेंस / एलआर / 2005 / 2437 / चुरू **सरकार बनाम बिशनाराम**	

एकलपीठ
श्री हरिशंकर गोयल, सदस्य

उपस्थित :–
श्री लोकेन्द्र सिंह राणावत, उप राजकीय अभिभाषक
श्री राजेश गौतम, अभिभाषक अप्रार्थी

––

दिनांक : 07 फरवरी, 2020

निर्णय

1. यह रेफरेंस न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, चुरू ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा–82 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 20–4–2005 द्वारा अनुशंषा करते हुए मण्डल को प्रेषित किया है।

2. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार, बीदासर जिला चुरू ने अवगत कराया है कि जमाबन्दी ग्राम गेवरसर संवत 2010 से 2014 के अनुसार गत खसरा नम्बर–36 तादादी 8 बीघा 5 बिस्वा आराजी गैर मकबुजा दर्ज है। संवत 2015 से 2018 की जमाबन्दी में सरकारी भूमियां खाता मिल्कियत सरकार बंजड़ अंकित है। मिसल बन्दोबस्त संवत 2028 साबिक खसरा नम्बर–36 के नये खसरा नम्बर–31 तादादी 8 बीघा 5 बिस्वा गैर मुमकिन गोचर अंकित है। जो संवत 2028 से 2058 तक लगातार गैर मुमकिन गोचर रही है। प्रशासन गांव के संग अभियान 2001 में श्रीमान उप निदेशक, आई.सी.डी.एस. एवं पदेन परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, (प्रभारी अधिकारी, प्रशासन गांव के संग) चुरू के निर्णय दिनांक 9–1–2002 के अनुसार खसरा नम्बर–31 तादादी 8 बीघा 5 बिस्वा की खातेदारी बिशनाराम पुत्र गोविन्दराम, जाति जाट निवासी गेवरसर के नाम करने का निर्णय कैम्प घंटियाल बड़ी में हुआ। निर्णय दिनांक 9–1–2002 की पालना में पटवारी हल्का गेवरसर द्वारा नामान्तरकरण संख्या–108 के द्वारा खातेदारी बिशनाराम अप्रार्थी के

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेंस / एलआर / 2005 / 2437 / चुरू</u>** **सरकार बनाम बिशनाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नाम दिनांक 20–3–2002 दर्ज हो गई। चूंकि भूमि गैर मुमकिन गोचर अंकित थी जो नियमों के विपरीत बिशनाराम अप्रार्थी के नाम खातेदारी अंकित हुई है, जो अवैध एवं नियमों के विपरीत है। उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–16 एवं भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार प्रतिबंधित भूमि है तथा विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन गोचर होने के कारण इस भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता था। आवंटन विधि विरूद्ध होने के कारण खातेदारी अधिकार भी विधि विरूद्ध हैं। उक्त आवंटन डी0बी0 सिविल जनहित याचिका सं0 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02–08–2004 में दिए गए निर्देशों के विपरीत हैं। अतः विवादित भूमि को सिवायचक किस्म गैर मुमकिन गोचर दर्ज करने के आदेश प्रदान किए जावें। प्रार्थना पत्र पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने इसे दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए। बाद सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 20–4–2005 द्वारा यह रेफरेंस मण्डल को प्रेषित किया है। 3. बहस उभयपक्ष सुनी गयी। 4. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 के अनुसार समस्त नदियां, नाले, झीलें और तालाब चारागाह आदि राज्य सरकार के स्वामित्व की हैं, जिसका आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–16 के अनुसार किया जाना नियम विरूद्ध है। विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन गोचर होने के कारण उक्त आवंटन डी0बी0 सिविल जनहित याचिका सं0 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02–08–2004 के परिप्रेक्ष्य में अविधिक है। अतः रेफरेंस को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को किया गया आवंटन व इसके आधार पर राजस्व अभिलेख में किए गए अंकन को निरस्त किया जाकर भूमि को पूर्व की भांति सिवायचक गैर मुमकिन गोचर दर्ज करने के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेंस / एलआर / 2005 / 2437 / चुरू** **सरकार बनाम बिशनाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आदेश प्रदान किए जावें। 5– विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि विवादित भूमि साबिक खसरा नम्बर–36 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा पर जमाबन्दी संवत 2010 में आराजी गैर मकबूजा किस्म बंजड़ दर्ज है। यही अंकन संवत 2015 तक रहे। खसरा गिरदावरी संवत 2020 में आराजी खसरा नम्बर–36 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा पर बिशनाराम पुत्र गोविन्दराम जाट का कब्जा बताया है। खसरा गिरदावरी संवत 2025, 2026 व 2027 में भी अप्रार्थी का कब्जा दर्शाया है। भू प्रबन्ध के बाद उक्त खसरा नम्बर से हाल खसरा नम्बर–31 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा बने और भूमि की किस्म परिवर्तन कर गोचर कर दी गई। भूमि की किस्म परिवर्तन करने का अधिकार भू प्रबन्ध विभाग को नहीं था। इसलिये भूमि की किस्म गोचर करना अविधिक कृत्य था जिसका कानून की नजर में कोई महत्व नहीं है। अप्रार्थी बिशनाराम का कब्जा सन् 2002 तक बदस्तूर रहा। भूमि नियमन समिति ने भी उसके पक्ष में सिफारिश की थी। कैम्प अधिकारी एवं उप निदेशक, महिला तथा बाल विकास अधिकारी, चुरू ने अपने निर्णय दिनांक 10–1–2002 द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में डिक्री जारी की गई है जिसके विरूद्ध यह रेफरेन्स मियाद बाहर प्रस्तुत किया गया है। अतः रेफरेन्स पोषणीय नहीं होने के कारण निरस्तनीय है। 6– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण के तर्को पर गहनता से मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। 7– पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अनुसार जमाबन्दी संवत 2010–15 तक आराजी खसरा नम्बर 36 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा आराजी गैर मकबूजा किस्म बंजड़ दर्ज थी। खतौनी जमाबन्दी संवत 2028–47 के अनुसार उक्त भूमि गोचर दर्ज कर दी गई। गोचर भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–16 के तहत आती है जिस पर किसी भी व्यक्ति के खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं हो सकते हैं। खसरा गिरदावरी संवत 2024–27 के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेंस / एलआर / 2005 / 2437 / चुरू** **सरकार बनाम बिशनाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अनुसार विवादित भूमि पर अप्रार्थी का अतिक्रमण रहा है और अप्रार्थी की हैसियत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–5(44) के अनुसार अतिक्रमी की है। केवल अतिक्रमण होने से किसी के खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं हो जाते हैं। कब्जा विधिमान्य होना चाहिये और वह भी संवत 2012 से लगातार होना चाहिये। 8– बड़े आश्चर्य का विषय है कि दिनांक 10–1–2002 को प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प घंटियाल बाड़ी में एक वाद **S.P.–**1 दिनांक 9–1–2002 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–88 के तहत प्रस्तुत हुआ। उसी दिन अर्थात 10–1–2002 को ही तहसीलदार सुजानगढ़ ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजी पर अप्रार्थी का कब्जा संवत 2021 से लगातार होना स्वीकार है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि दावा डिक्री फरमाया जाता है तो प्रतिवादी तहसीलदार, सुजानगढ़ को कोई आपत्ति नहीं है। 9– इस जवाब दावे के आधार पर कैम्प प्रभारी उप निदेशक, I.C.D.S. पदेन परियोजना निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, चूरू ने दावा डिक्री कर दिया। उन्होंने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के विपरीत दावा डिक्री किया है जो पूर्णतया विधि के विपरीत है। चरागाह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत धारा–16 के अनुसार प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आती है जिस पर खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी का विधिमान्य कब्जा संवत 2012 से लगातार नहीं होने के कारण भी धारा–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। अतः कैम्प प्रभारी अधिकारी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री पूर्णतः विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। 10– वादीगण ने उक्त दावा खातेदारी अधिकारों की घोषणा का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–88 के तहत प्रस्तुत किया है। धारा–88 के तहत केवल उन्हीं प्रकरणों में खातेदारी प्रदान की जा सकती है जिनमें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेंस / एलआर / 2005 / 2437 / चुरू** **सरकार बनाम बिशनाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

1955 के लागू होने की तिथि 15-10-1955 से पूर्व से लगातार विधिमान्य कब्जा हो। इस प्रकरण में वादीगण का दिनांक 15-10-1955 से पूर्व विधिमान्य कब्जा नहीं था। केवल प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने आरआरटी-2017(2) पेज-1139 में निम्न अभिमत प्रकट किया है :-

> **There that no provision in the Rajasthan Tenancy Act for conferment of Khatedari rights by adverse possession and therefore, no person can claim right by way of adverse possession againsts the State Government.**

11- इसी प्रकार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने की स्थिति के संबंध में 5 सदस्यीय पूर्ण-पीठ का गठन किया गया था जिसने जगदीश बनाम सीताराम प्रकरण में दिनांक 3-6-2011 को जो निर्णय प्रदान किया है वह आरबीजे-2011 पेज-387 पर वर्णित है। इस निर्णय में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने के बारे में विस्तृत विवेचन किया है और निम्न अभिमत प्रकट किया है :-

> "77- In View of what has been discussed above and the legal precedents, this Bench answers the questions raised by the referring D.Bl in the following manner :-
>
> (1) Whether the Larger Bench in its judgment 'Bagga Vs. Surendra Singh' as reported in 1991 RRD page I has laid down a good law by providing for comferment / acquisition of khatedari right on a trespasser on the basis of 'adverse possession' vis-a-vis the provision of the Rajasthan Tenancy Act of 1955 as a measure of land reform ?
>
> Answer :- In the view of this bench the Larger Bench in its judgment 'Bagga Vs. Surendra Singh' as reported in 1991 RRD page 1 has not

laid down a good law because the Rajasthan Tenancy Act does not have nay provision to confer tenancy rights to the adverse possessor. This bench also infers that providing tenancy rights to the adverse possessor is a retreating step with regard to land reforms and such a conferment of tenancy rights is against the basic spirit of this special legislation.

(2) Whether extinguishment of tenancy right under4 Section 63 (1) (iv) of the Act of 1955 creates khatedari right in trespasser on the basis of adverse possession?

Answer: In the opinion of this bench extinguishment of tenancy rights create no khatedari rights in the trespasser on the basis of adverse possession?

(3) Whether the Board of Revenue has legislative power to lay down a new law for grant of khatedari right in addition to and over and above what is provided under the Act, as has been done by the Larger Bench of this court in 1991 RRD page 1?

Answer: In the opinion of this bench the Board of Revenue does not have legislative power to lay down a new law for grant of khatedari rights.

(4) Whether the judgment of the Larger Bench as reported in RRD page 1 should be revoked/annulled in light of the provision of the Act of 1955 and the judgment of the Hon'ble Supreme Court of India as reported in RLW 2008 (1) RJ page 1101.

Answer: In the opinion of this bench the judgment of Larger Bench in Bagga Vs Surendra Singh as reported in 1991 RRD page 1 being not a

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेंस / एलआर / 2005 / 2437 / चुरू</u>** **सरकार बनाम बिशनाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	good law, deserves to be set aside." 12– अतः राजस्थान उच्च न्यायालय व राजस्व मण्डल की पूर्ण–पीठ के निर्णयों से यह भलीं–भांति सिद्ध होता है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते हैं। अतः इसी आधार पर अप्रार्थी के पक्ष में निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है। 13– उपर्युक्त विवेचन के अनुसार रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है और कैम्प प्रभारी घंटियाल बाड़ी, तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू का निर्णय दिनांक 10–1–2002 निरस्त किया जाता है। विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर–31 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा को पुनः सिवायचक किस्म गैर मुमकिन चारागाह दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाते है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(हरिशंकर गोयल)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेंस / एलआर / 2005 / 2437 / चुरू** **सरकार बनाम बिशनाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए